क्रम-संख्या-593

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 22 सितम्बर, 1982

भाद्रपद 31, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2645/सत्रह-वि0-1-1(क)-6-82

लखनऊ, 22 सितम्बर, 1982

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 15 सितम्बर, 1982 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1982

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1982]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1973 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1973 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 में, उपधारा (1) में,—

(क) खण्ड (ख) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1976" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1982" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) निदेशक नकदी से भिन्न सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों को बेच देगा और 24 नवम्बर, 1972 के पूर्व ऐसी संस्था खोलने, संगठित करने या चलाने के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा उपगत बकाया दायित्व, यदि कोई हो, का उन्मोचन और ऐसी कार्यवाही करने में उपगत व्यय को चुकाने के पश्चात् उन्हें उक्त विद्यार्थियों के बीच अनुपाततः वितरण के निमित्त नकदी में परिवर्तित करेगा।"

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 2645(2)/XVII-V-1—1(Ka)-6-82
Dated Lucknow, September 22, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Apradhikrit Chikitsa Shikshan Sanstha (Niwaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 1982), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 15, 1982:

THE UTTAR PRADESH UNAUTHORISED MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (PREVENTION) (AMENDMENT) ACT, 1982

[U. P. Act no. 26 of 1982]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Unauthorised Medical Educational Institutions (Prevention) Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Unauthorised Medical Educational Institutions (Prevention) (Amendment) Act, 1982.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 5 of 1973.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Unauthorised Medical Educational Institutions (Prevention) Act, 1973, in sub-section (1),—

(*a*) in clause (*b*), *for* the word and figures "March 31, 1976" the word and figures "March 31, 1982" shall be *substituted*;

(*b*) *for* clause (*c*), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*c*) the Director shall dispose of the property and assets (other than cash) and convert the same into cash for being distributed *pro-rata* among the said students after discharging the outstanding liabilities, if any, of the person, incurred in connection with the opening, organising or running such institution before November 24, 1972 and defraying the expenses incurred in taking such steps."

By order,

G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 129 सा०—(विधा०)—23-9-82—(1949)—1982—650 (मेक०)।

Scanned by CamScanner